सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 22.07.2024

मात्र 12 घण्टे के अन्दर हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुये इटावा पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

कब्जे से 01 ईंट (आलाकत्ल) की गयी बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में एसओजी/सर्विलान्स टीम एवं थाना बसरेहर पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 21.07.2024 को वादिनी ऊषा देवी पत्नी शिशुपाल निवासी ग्राम अकबरपुर थाना बसरेहर जनपद इटावा हाल निवासी ओमपुरम कालोनी थाना फ्रेण्डस कालोनी इटावा द्वारा थाना बसरेहर पर लिखित तहरीरी सूचना दी गयी कि दिनांक 20.07.2024 को उसके पति शिशुपाल की ब्रजपाल पुत्र रामसिंह 2. शिवम उर्फ लालू पुत्र बालक राम ने ग्राम अकबरपुर स्थित खेत पर ले जाकर हत्या कर दी एवं शव को थाना वैदपुरा क्षेत्रान्तर्गत मोटर साइकिल के नीचे रखकर भाग गये जिन्हें वैदपुरा पुलिस द्वारा जिला अस्पताल भर्ती कराया गया जहाँ डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया सूचना प्राप्त होने पर मेरे द्वारा उक्त शव की पहचान मेरे पति के रूप में की गयी। सूचना पर तत्काल **थाना बसरेहर पर मु0अ0सं0 60/2024 धारा 103(ए)/238 बीएनएस पंजीकृत किया गया।**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुये घटना स्थल का निरीक्षण किया गया एवं घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया।

गिरफ्तारी/बरामदगी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद में अपराध/आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं हत्या/लूट की घटना कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में गठित पुलिस टीमों द्वारा आज दिनांक 22.07.2024 को थाना बसरेहर क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी। इसी दौरान 02 व्यक्ति ग्राम रम्पुरा नहर पटरी की ओर से आते दिखायी दिये जिन्हे पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया तो मुडकर भागने लगें जिन्हे पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करते हुये **बसगंवा पुल से रम्पुरा नहर पटरी पर समय 12.50 बजे गिरफ्तार किया गया।**

उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में पूछताछ के आधार पर थाना बसरेहर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 60/2024 धारा 103(ए)/238 बीएनएस में धारा 105 बीएनएस तरमीम की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. ब्रजपाल पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम अकबरपुर थाना बसरेहर जनपद इटावा **उम्र 25 वर्ष।**
2. शिवम उर्फ लालू पुत्र बालकराम निवासी ग्राम अकबरपुर थाना बसरेहर जनपद इटावा **उम्र 24 वर्ष।**

बरामदगी-

1. 01 ईंट (आलाकत्ल)

पंजीकृत अभियोग:-

1. **मु0अ0सं0 60/2024 धारा 105/238 बीएनएस थाना बसरेहर जनपद इटावा।**

पुलिस टीम:- प्रथम टीम:-उ0नि0 श्री जय प्रकाश प्रभारी एसओजी, उ0नि0 श्री नागेन्द्र चौधरी प्रभारी सर्विलान्स मय टीम।

द्वितीय टीम:- उ0नि0 श्री समित चौधरी थानाध्यक्ष बसरेहर, उ0नि0 राजेन्द्र, हे0का0 मोहित, का0 विनोद कुमार, का0 रिंकु, का0 अवनीश कुमार।